

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता एवं मोबाईल नंबर | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ. एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि | मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० सीताराम मुखिया, 38, अशरफी मुखिया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | कंचन देवी (पत्नी) 4828154180 85 | 976 27.09.2025 एवं 847 12.08.2025 | ग्राम+पो०-बहादुरपुर, वार्ड-05, थाना+प्र०-अलौली, जिला-खगड़िया 8092999045 | 228800 17001 23600 | PNB PUNB02 28800 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के साथ हेल्पर का कार्य |
| 2 | स्व० सिकेन्द्र सदा, 41, राम स्वरूप सदा, अनुसूचित जाति | शकुंतला देवी (पत्नी) 3102447862 89 | 976 27.09.2025 एवं 849 12.08.2025 | ग्राम+पो०-बहादुरपुर, वार्ड-06, थाना+प्र०-अलौली, जिला-खगड़िया 9315198771 | 228800 17001 11809 | PNB PUNB02 28800 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के साथ हेल्पर का कार्य |

कुल राशि :-रू० 1,00,000/-

(एक लाख रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-23/2025(अंश)-197

पटना, दिनांक :- 16/02/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, खगड़िया/उप श्रमायुक्त, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 16-02-2026 13:35:32

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Signed by Rajesh Bharti

Date: 16-02-2026 15:56:58

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक